

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13115/2021

कुलदीप जैमन पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जैमन, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी मकान नंबर 121, वार्ड नंबर 10, खासा मोहल्ला, खास स्कूल के पास, अलवर 301001 (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 302005 के माध्यम से
- प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिव, घूघरा घाटी, अजमेर के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री शोवित झाझरिया, श्री कुलदीप जैमन के साथ,
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री एस. एस. राघव, एएजी
श्री अमित लुभाया के साथ

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्ट योग्य

08/02/2024 को आरक्षित

14/02/2024 को घोषित

- यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-
“(i) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे विनम्र याचिकाकर्ता को प्री परीक्षा में योग्य घोषित करें और याचिकाकर्ता को आरएसएस मुख्य परीक्षा-2021 में भाग लेने की अनुमति दें;
(ii) या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादियों को विनम्र याचिकाकर्ता की एक अलग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जा सकता है।
(iii) राज्य सरकार और सभी परीक्षा प्राधिकारियों को भी निर्देश जारी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/198/2024 और एक अन्य मामला दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को सुबह 11:36:58 बजे डाउनलोड किया गया)

किया जा सकता है कि वे दृष्टिहीन व्यक्तियों को किसी भी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें तथा इस संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार उचित निर्देश प्रसारित करने का आदेश दिया जा सकता है।

(iv) यह कि विनम्र याचिकाकर्ता को हुए उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए भी प्रतिवादी आरपीएससी को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

(v) कोई अन्य उचित आदेश, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त पाया जाए, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

2. वर्तमान याचिका में कारण और विवाद को जन्म देने वाली तथ्यात्मक शर्तें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:-

2.1. प्रतिवादी-आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती के लिए दिनांक 20.07.2021 को विज्ञापन जारी किया।

2.2. याचिकाकर्ता ने अपेक्षित पात्रता योग्यता रखते हुए परीक्षा के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि याचिकाकर्ता 100% दृष्टिहीनता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग (नेत्रहीन) श्रेणी से संबंधित है।

2.3. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया, जो 27.10.2021 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक अलवर में आयोजित होने वाली थी।

2.4 इस बीच, प्रतिवादी-आरपीएससी ने लेखक की खरीद और/या व्यवस्था के संबंध में दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए।

2.5. दिनांक 27.10.2021 को जब याचिकाकर्ता परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

2.6. याचिकाकर्ता को संबंधित परीक्षा में भाग लेने से रोकने के लिए प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा दिए गए कारण तीन थे, अर्थात्:-

(i) याचिकाकर्ता ने आवश्यक प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने लिपिक के विवरण के संबंध में प्रतिवादी-आरपीएससी को दो दिन पहले सूचित नहीं किया।

(ii) कि याचिकाकर्ता परीक्षा केन्द्र पर अपनी विकलांगता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण-पत्र

साथ नहीं लाया था।

(iii) कि याचिकाकर्ता अपने लेखक के साथ प्रातः 9:45 बजे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचा, जिससे प्रतिवादी-आरपीएससी को परीक्षा के लिए निर्धारित समय अर्थात् प्रातः 10:00 बजे से पहले आवश्यक जांच आदि करने के लिए बहुत कम समय अर्थात् 15 मिनट ही मिला।

2.7 कि परिणामस्वरूप, परीक्षा में भाग लेने की अनुमति न दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता को परीक्षा केन्द्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

2.8 तत्पश्चात, प्रतिवादी-आरपीएससी की आपत्तिजनक कार्यवाइयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए सचिव, आरपीएससी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परन्तु, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

2.9. प्रतिवादी आर.पी.एस.सी के अभ्यावेदन तथा आक्षेपित कार्यवाही पर विचार न किए जाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण के आलोक में, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से बहस करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-आरपीएससी की आपत्तिजनक कार्यवाइ न केवल अवैध और स्थापित कानून और उससे संबंधित नियमों/दिशानिर्देशों के विपरीत है, बल्कि सामाजिक नैतिकता के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा निर्धारित परीक्षा से पूर्व दिए गए निर्देशों में अभ्यर्थियों पर केवल यह अनिवार्यता लागू की गई थी कि वे प्रतिवादी-आरपीएससी को दो दिन पहले एक लेखक की नियुक्ति के बारे में सूचित करें, बशर्ते कि प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा अभ्यर्थी के लिए लेखक की व्यवस्था की जानी हो। हालाँकि, याचिकाकर्ता के मामले में, लेखक की व्यवस्था याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की गई थी, जिसकी प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा जारी परीक्षा योजना में अनुमति थी। इसलिए, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा यह आधार कि याचिकाकर्ता ने दो दिन पहले अपने लेखक के विवरण के बारे में प्राधिकारियों को सूचित नहीं किया था, कानून की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता।

4. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि परीक्षा की योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपने साथ बहुत सीमित वस्तुएँ/सामान ले जाने की अनुमति थी, जैसे ई-प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी का 2.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का फोटोग्राफ, पहचान पत्र और एक नीला बॉल पेन। इसलिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र न होने का हवाला देकर परीक्षा में

बैठने से रोकने का निर्णय पूरी तरह से मनमाना था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी-आरपीएससी की योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना आवश्यक था। उसी के अनुपालन में, याचिकाकर्ता संबंधित केंद्र पर सुबह 9:00 बजे पहुँच गया। हालाँकि, प्रतिवादी-आरपीएससी के प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न प्रक्रियात्मक बाधाओं, जैसे कि याचिकाकर्ता को अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाने के लिए बार-बार परेशान करना, के कारण याचिकाकर्ता को समय पर परीक्षा हॉल में पहुँचने से रोक दिया गया, जिसके कारण उसने सुबह 9:45 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

5. इसलिए, ऊपर उल्लिखित तर्कों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से निर्णायक रूप से तर्क दिया कि प्रतिवादी-आरपीएससी की आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ उनके अपने परीक्षा दिशानिर्देशों के साथ-साथ लागू कानून के भी विपरीत थीं। हालाँकि, ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियाँ देने के बाद, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्वीकार किया कि चयन प्रक्रिया के अंतिम रूप ले लेने के कारण प्रार्थना संख्या 1 और 2 निष्फल हो गई हैं। इसलिए, एकमात्र प्रार्थना, जो आज तक कायम है, वह प्रार्थना संख्या 3 है जो याचिकाकर्ता को हुई पीड़ा के लिए खर्च के निर्णय से संबंधित है, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद, 2016 का अधिनियम) और इसके संबंध में बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। अंत में, ऊपर उल्लिखित तर्कों के समर्थन में, एस.बी. सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4192/2017 जिसका शीर्षक कुलदीप जैमन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है तथा एस.बी. सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 413/2019 जिसका शीर्षक राजबाला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, में प्रतिपादित इस न्यायालय के कथन पर भरोसा रखा गया।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी-आरपीएससी के विद्वान वकील ने न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्वीकार किया कि विकलांग उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि सामान्य और विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, जो दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन का हिस्सा थे, एक स्क्राइब के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए, उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख से दो दिन पहले प्रतिवादी-आरपीएससी को सूचित करना था, ताकि बाद में स्क्राइब के रूप में आवश्यक व्यवस्था/अपेक्षित कार्य किए जा सकें। इसके अलावा, उम्मीदवार को प्रतिवादी-आरपीएससी के अंत में इसका पता लगाने/

नोट करने/सत्यापन के लिए दावा की गई विकलांगता को प्रदर्शित करने वाला अपना मेडिकल प्रमाण पत्र अपने साथ ले जाना अनिवार्य दायित्व भी था। इस संबंध में, विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल विज्ञापन द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों पर भरोसा किया है, न कि उसमें शामिल सामान्य शर्तों पर। इसके अलावा, परीक्षा में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा प्रभारी परीक्षा केंद्र और सहायक केंद्राधीक्षक की एक विशेष समिति गठित की गई थी, जिसने याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने से रोकने का निर्णय लिया। अतः, चूँकि याचिकाकर्ता ने जारी किए गए विज्ञापन में शामिल परीक्षा योजना का पालन नहीं किया और/या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके दावा की गई छूट के संबंध में अपनी प्रामाणिकता प्रदर्शित नहीं की, इसलिए याचिकाकर्ता को जुर्माना नहीं दिया जा सकता, खासकर जब याचिकाकर्ता पूर्व-सूचित दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करने में विफल रहा हो।

7. याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी-आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया, याचिका के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

8. सर्वप्रथम, यह न्यायालय, वर्तमान याचिका के अभिलेख का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात, न्याय के हित में यह समझता है कि स्वीकृत और/या निर्विवाद तथ्यात्मक विचारों पर ध्यान दिया जाए, जो न्यायालय को प्रस्तुत सूची पर विचार करने में सहायता करने के लिए उपयुक्त हों। इनका विवरण नीचे दिया गया है:-

8.1. प्रतिवादी-आर.पी.एस.सी. दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण विधिवत मान्यता/प्रदान करता है। उक्त मान्यता/प्रदान, 2016 के अधिनियम की योजना और उससे संबंधित नियमों के अनुरूप है।

8.2 परिणामस्वरूप, विज्ञापन दिनांक 27.01.2021 अर्थात् अनुलग्नक-1 के माध्यम से, प्रतिवादी-आरपीएससी ने स्पष्ट रूप से विकलांग उम्मीदवारों पर क्षैतिज आरक्षण के उक्त प्रावधान को शामिल किया।

8.3 याचिकाकर्ता दिनांक 27.01.2021 के विज्ञापन के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग (नेत्रहीन) श्रेणी से संबंधित है। याचिकाकर्ता के 100% दृष्टिबाधित होने के संबंध में, उक्त तथ्य को प्रदर्शित/पुष्टि करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिलेख अर्थात् अनुलग्नक-3 में संलग्न है।

8.4 कि प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी प्रवेश पत्र अर्थात अनुलग्नक-4, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त कार्ड नेत्रहीन श्रेणी के अंतर्गत जारी किया गया था।

8.5 कि याचिकाकर्ता के ऑनलाइन आवेदन पत्र अर्थात अनुलग्नक-2 के अनुसार, 'आवेदक का विवरण' शीर्षक के अंतर्गत, यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि बिल्कुल शुरुआत से ही अर्थात परीक्षा की निर्धारित तिथि से काफी पहले उक्त फॉर्म भरने की तिथि से ही, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान एक लेखक की सेवा/सहायता लेगा। साथ ही, उसी फॉर्म में, याचिकाकर्ता ने यह भी नोट करने का विकल्प चुना था कि वह अपना स्वयं का लेखक लाएगा और विभाग/आरपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखक को नहीं रखेगा।

8.6 प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा जारी अनुलग्नक-4 अर्थात परीक्षा के लिए दिशानिर्देश/नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अपने साथ कोई भी वस्तु/दस्तावेज ले जाने की सख्त मनाही है, सिवाय उन वस्तुओं/दस्तावेजों के जो उक्त दिशानिर्देश/नोटिस में दिए गए हैं, जैसे ई-प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी का 2.5 सेमी x 2.5 सेमी माप का फोटो, पहचान पत्र और एक नीला बॉल पेन। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देश/नोटिस में अभ्यर्थियों को सुरक्षा और पहचान संबंधी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की भी आवश्यकता थी। संबंधित अंश अर्थात दिशानिर्देश 3 और 4, नीचे दिए गए हैं:-

"1. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर केवल निम्न सामग्री लानी है:-

(अ) ई-एडमिट कार्ड।

(ब) 2.5 सेमी. x 2.5 सेमी साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाकर लावेंगे)।

(स) नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन।

(द) फोटो युक्त पहचान पत्र।

2. परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से एक घन्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।"

8.7 अनुलग्नक-5 अर्थात् स्क्राइब की नियुक्ति के संबंध में विशेष निर्देशों के अनुसार,

स्क्राइब चुनने के लिए दो अलग-अलग व्यवस्थाएँ प्रदान की गई थीं। पहला विकल्प, जैसा कि याचिकाकर्ता ने चुना था, अभ्यर्थी द्वारा अपना स्वयं का स्क्राइब लाने से संबंधित था। जबकि, दूसरा विकल्प अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवादी-आरपीएससी से स्क्राइब उपलब्ध कराने का अनुरोध करने से संबंधित था। ऐसी स्थिति में, जहाँ अभ्यर्थी अपना स्वयं का स्क्राइब नहीं लाए, निर्देश संख्या 5 लागू किया गया, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पहले प्रतिवादी-आरपीएससी को परीक्षा की तिथि पर स्क्राइब उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सूचित करना अनिवार्य किया गया। संदर्भ के लिए, उक्त निर्देश संख्या 5 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

श्रुतलेखक (Scribe) के संबंध में विशेष निर्देश

- 1. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुतलेखक (Scribe) लाने हेतु अनुमत किया जाता है।
- 2. ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक (Scribe) नहीं लाते हैं, उन्हें पूर्वानुसार परीक्षा से दो दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होकर श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना किये जाने पर केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन के समय श्रुतलेखक (Scribe) की उपलब्धता स्तर के विकल्प का चयन आवेदन के समय उक्त प्रकार के विकल्प की सुविधा उपलब्ध होने पर करना होगा।

8.8 कि विकलांग उम्मीदवारों के लिए, जैसे कि 100% दृश्य हानि वाले याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिनांक 29.08.2018 और 25.01.2018 के परिपत्रों के माध्यम से, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक का चयन करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के अधिकार को विधिवत मान्यता दी, जबकि साथ ही उनके लिए परीक्षा निकाय से उन्हें यह प्रदान करने का अनुरोध करने का विकल्प खुला रखा। दूसरे विकल्प के रूप में, प्रतिवादी-आरपीएससी ने स्वयं दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उम्मीदवारों को दो दिन पहले स्क्राइब की आवश्यकता के बारे में प्रतिवादी-आरपीएससी को सूचित करने की आवश्यकता है। हालांकि, उन उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो अपना स्वयं का स्क्राइब लाना चाहते हैं।

9. अतः, उपरोक्त शर्तों/टिप्पणियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, यह

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/198/2024 और एक अन्य मामला दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

न्यायालय यह मानना उचित समझता है कि प्रतिवादी आरपीएससी की वह कार्रवाई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को संबंधित परीक्षा में बैठने से रोका गया, पूरी तरह से मनमानी थी और कानून में किसी भी वैध प्राधिकार के बिना थी। इस संबंध में, निम्नलिखित टिप्पणी की जाती है:-

(क) प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता को संबंधित परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए अपनाया गया प्राथमिक आधार यह था कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले प्रतिवादी-आरपीएससी को अपने लेखक के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया था। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि अनुलग्नक-5 अर्थात् लेखक की नियुक्ति के संबंध में विशेष निर्देश, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि केवल वे उम्मीदवार, जो प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा प्रदान किए गए लेखक को नियुक्त करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले प्रतिवादी-आरपीएससी को सूचित करने के उक्त अनुपालन को प्रभावी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता ने लेखक की सहायता लेने में प्रतिवादी-आरपीएससी की सहायता नहीं ली और इसके बजाय, स्वयं की व्यवस्था की, पूर्व सूचना की उक्त आवश्यकता याचिकाकर्ता के लिए लागू नहीं थी। अधिक स्पष्टता के लिए, यह भी उल्लेख किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही, अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुलग्नक-2) भरते समय, यह स्पष्ट कर दिया था कि वह संबंधित परीक्षा में अपना स्वयं का लेखक लाएगा। इसलिए, अस्वीकृति का प्राथमिक आधार और प्रतिवादी-आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ख) प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता को संबंधित परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए अपनाया गया दूसरा आधार यह था कि याचिकाकर्ता परीक्षा केंद्र पर अपनी विकलांगता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ नहीं लाया था। इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा जारी प्रवेश पत्र, अर्थात् अनुलग्नक-4, में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि याचिकाकर्ता को दृष्टिबाधित श्रेणी में परीक्षा देनी थी। उक्त प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर भी याचिकाकर्ता के पास था, जब याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने से रोका गया था। इसके अलावा, उसी समय, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा जारी अनुलग्नक-4 अर्थात् परीक्षा के लिए दिशानिर्देश/नोटिस पर भी भरोसा किया जाता है, जिसने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए अपने साथ कोई भी सामान/दस्तावेज ले जाने से सख्ती से मना किया है, सिवाय उन चीजों के जो उक्त दिशानिर्देश/नोटिस में प्रदान की

गई हैं अर्थात ई-एडमिट कार्ड, उम्मीदवार की 2.5 सेमी x 2.5 सेमी माप वाली तस्वीर, आईडी कार्ड और एक नीला बॉल पेन। इसलिए, अस्वीकृति का द्वितीयक आधार, याचिकाकर्ता को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ-साथ प्रतिवादी-आरपीएससी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए संबंधित तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से इसके संबंध में जारी किए गए विपरीत दिशानिर्देशों के प्रकाश में, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा केंद्र में केवल मुट्ठी भर सामान ले जाने की अनुमति थी।

(ग) प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता को संबंधित परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए अपनाया गया तृतीयक आधार याचिकाकर्ता का परीक्षा केंद्र पर देरी से यानी सुबह 09:45 बजे पहुंचना था, जिससे प्रतिवादी-आरपीएससी को याचिकाकर्ता के लेखक के संबंध में आवश्यक जांच करने के लिए बहुत कम समय मिला। इस संबंध में, रिकॉर्ड के अवलोकन पर, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता एडमिट कार्ड यानी अनुलग्नक-4 में शामिल निर्देशों के अनुपालन में संबंधित परीक्षा केंद्र पर सुबह 09:00 बजे पहुंच गया था। हालांकि, इस प्रकार की देरी, जिसके कारण याचिकाकर्ता सुबह 09:45 बजे परीक्षा हॉल में पहुंचा, प्रतिवादी-आरपीएससी/परीक्षा कर्मचारियों द्वारा गेट/परिसर में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और ढांचागत बाधाओं के कारण हुई। इसलिए, उक्त देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि याचिकाकर्ता परीक्षा शुरू होने के समय से मात्र 15 मिनट पहले परीक्षा हॉल में पहुँचा, भ्रामक है, क्योंकि दस्तावेज़ सत्यापन जैसे प्रक्रियात्मक कार्य लिखित परीक्षा के दौरान किए जाने हैं, न कि परीक्षा के उक्त चरण में। इसलिए, अस्वीकृति का तृतीयक आधार और उसके समर्थन में दिए गए तर्क भी मान्य नहीं हैं।

(घ) प्रतिवादी-आरपीएससी के विद्वान वकील द्वारा याचिकाकर्ता को एक विशेष समिति की परीक्षा में बैठने से रोकने के संबंध में लिए गए निर्णय के संबंध में दी गई दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बैठक के कार्यवृत्त सहित कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, जिससे प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा अपने विवादित निर्णय पर पहुंचने में अपनाए गए विचारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

10. वैसे भी, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2007 में, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (इसके बाद, कन्वेंशन) की पुष्टि की थी। कन्वेंशन ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा पालन किए जाने

वाले कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। इसने हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को कन्वेंशन के सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानून के साथ-साथ नीति में भी उचित बदलाव करने की आवश्यकता जताई। तदनुसार, 2016 का अधिनियम इस मूल उद्देश्य/उद्देश्य के साथ प्रख्यापित किया गया था कि भिन्नताओं का सम्मान किया जाए और विकलांग व्यक्तियों को मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाए, साथ ही उन्हें अवसर की समानता प्रदान की जाए।

11. पूर्वोक्त के अनुसरण में, यह नोट किया जाता है कि 2016 के अधिनियम की धारा 20 और 21 का संचयी वाचन राज्य को सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव न करने की जिम्मेदारी देता है। तदनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुचित बाधाएं/रुकावटें पैदा किए बिना, रोजगार के ऐसे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित/प्रशासित करने के कर्तव्य को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भेदभाव न करने की अति-व्यापक और वैधानिक जिम्मेदारी में पढ़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक रोजगार और ऐसे सार्वजनिक रोजगार के लिए परीक्षाओं के परेशानी मुक्त प्रशासन के बीच स्पष्ट अंतर्संबंध को राज्य के साधनों द्वारा हर कदम पर सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के लिए परेशानी मुक्त परीक्षाओं को सक्षम करने वाली नीति के समान अवसर के बिना, सार्वजनिक रोजगार में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने का बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य, जो कि उक्त परीक्षाओं का मात्र परिणाम है, प्राप्त नहीं होगा।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, क्षैतिज आरक्षण को उचित मान्यता प्रदान करने के बावजूद, प्रतिवादी-आरपीएससी ने याचिकाकर्ता के लिए अवांछित और अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न कीं, जो परीक्षाओं के संचालन की नीति/परिपत्र/विज्ञापन के विपरीत थीं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया और इस प्रकार, अन्य अभ्यर्थियों के विरुद्ध उसके साथ भेदभाव किया गया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-आरपीएससी की आपत्तिजनक कार्रवाइयों ने याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्राप्त करने के लिए दी गई सुरक्षा को छीन लिया।

13. इसलिए, ऊपर की गई टिप्पणियों पर संचयी विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक रोजगार के लिए परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रतिवादी-राज्य और आरपीएससी पर 2016 के अधिनियम के प्रावधान विधिवत लागू होने के बावजूद,

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/198/2024 और एक अन्य मामला दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

प्रतिवादी-आरपीएससी ने याचिकाकर्ता के संरक्षित अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देशों/परिपत्रों/विज्ञापनों का उल्लंघन किया, साथ ही केंद्र सरकार यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राज्य सरकार यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा क्रमशः 29.08.2018 और 25.01.2018 को जारी किए गए परिपत्रों का भी उल्लंघन किया, जिससे याचिकाकर्ता को पीड़ा हुई और 2016 के अधिनियम के तहत संरक्षित उसके अधिकारों को निराशा हुई। तदनुसार, यह न्यायालय 2016 के अधिनियम की धारा 89 के तहत निर्धारित शक्तियों के साथ-साथ अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अनुसरण में, प्रतिवादी-आरपीएससी पर प्रार्थना संख्या 3 और 4 के अनुसार, 5 लाख रुपये की राशि, इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को देय है। जबकि, प्रार्थना संख्या 1 और 2 के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि समय बीत जाने के कारण चयन प्रक्रिया के अंतिम रूप ले लेने के कारण, ये प्रार्थनाएँ निष्फल हो गई हैं।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के अनुरूप, यह न्यायालय यह टिप्पणी करना समीचीन समझता है कि विकलांग व्यक्तियों को, एक अधिकार के रूप में, न कि एक दायित्व के रूप में, उनकी अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के सम्मान के साथ सशक्त बनाया गया है, जिसमें राज्य तंत्र और/या समाज द्वारा उनके सामने आने वाले प्रणालीगत पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर चुनाव करने की उनकी स्वतंत्रता भी शामिल है। इसलिए, राज्य के साथ-साथ आम जनता को भी विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति समाज को सक्षम बनाने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए, जिससे उन्हें स्वाभाविक रूप से बिना किसी संघर्ष और पूर्वाग्रह के, अवसर की समानता प्रदान की जा सके।

15. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त के अनुसार, यह याचिका स्वीकार की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

16. अनुपालन हेतु 15.03.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

(समीर जैन),जे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate